

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(27)एमई/ग्रुप-1/82

जयपुर, दिनांक :


11 6 APR 2019

आदेश

डॉ. एन.डी. सोनी, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, जिनकी जन्म तिथि 30.06.1956 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2019 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. एन.डी.सोनी, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन) राजमेस, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. एन.डी. सोनी, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव